न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बागनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 67/2025 रा.वा.

जी.सी.एम.एस.नम्बर—2025/95

उनवान

1. श्री वाला उर्फ वालचन्द उर्फ वाला पिता चतरा पटेल जाति डांगी उम्र बालिग निवासी रेलाकुँवा, उथरदा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर तहसील, सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—::निर्णय::—

दिनांकः— 28/10/2025

उपस्थितिः श्री रणजीत पुर्विया अधिवक्ता—प्रार्थी
पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।

आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा रेलाकुँवा पटवार हल्का उथरदा, तहसील सलूम्बर खाता संख्या 128 आराजी नम्बर 1029/2.17, 1038/0.10, 1041/0.09, 1042/0.09, 1324/0.10, 1334/0.11 कुल किता 06 रकबा 2.66 हैक्टेयर कृषि भूमि मे प्रार्थी के सह स्वामित्व एवं सह आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त कृषि भूमि पर आए दिन सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा हैं। इसके समाधान के लिए दिनांक 12—06—2024 को तहसीलदार साहब के आदेश से सीमा जानकारी की गई थी। फिर भी भूमि की सही सीमा का निर्धारण और पत्थरगढी अति आवश्यक है। इससे न केवल विवादों का समाधान होगा, बल्कि भूमि के सही उपयोग मे भी सलूलियत होगी। यह कि प्रार्थना पत्र का कारण दिनांक 30—06—2025 से पैदा हुआ जब पडोसी खातेदार द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर तहसीलदार के आदेश से की गई सीमा जानकारी को उनके जाने के बाद हटा दिया और मानने से मना कर दिया गया। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित खाता संख्या 128 कुल किता 06 रकबा 2.66 हैक्टेयर कृषि भूमि का विधिवत सीमांकन कर पत्थगढी किये जाने का आदेश करने की कृपा करें। इससे न केवल सीमा विवाद का समाधान होगा बल्कि भविष्य मे भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नही होगी।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस/सम्मन जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1 पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर जाहिर आया। जिन्होने जवाब पेश नही कर सीधे बहस सुने जाने हेतु निवेदन किया।

तदपश्चात पत्रावली मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजी एवं पडोसी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

आराजीयात के बीच सीमाकंन व पत्थरगढी नहीं होने से मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 128 खाता संख्या 128 आराजी नम्बर 1029/2.17, 1038/0.10, 1041/ 0.09, 1042/0.09, 1324/0.10, 1334/0.11 कुल किता 06 रकबा 2.66 हैक्टेयर कृषि भूमि का विधिवत सीमांकन कर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि संयुक्त आराजीयात की भूमि है राजस्व जमाबंदी मे दर्ज सभी खातेदारो को इस प्रार्थनापत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि संयुक्त आराजीयात की भूमि होकर अविभाजीत होना प्रकट आया है। तथा प्रार्थी ने राजस्व जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 128 मे दर्ज सभी सह खातेदारो जो इस प्रार्थना पत्र के आवश्यक पक्षकार है उन्हे पक्षकार नही बनाया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

–::आदेश::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
जिला–सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर